"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त 2017—भाद्र 3, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 4-1-2007/1-7.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2007/1-7, दिनांक 01 जुलाई, 2017 द्वारा श्री प्रवीण कुमार प्रधान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में उप सचिव के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 919/2017/II-2-17/2001 (Part-III), दिनांक 07-07-2017 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रवीण कुमार प्रधान, उप सचिव, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) की सेवाएं, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर से वापस लेते हुए, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित न्यायाधीश को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायगढ़	रायगढ़	कु. पुष्पलता मारकण्डे, II Civil Judge Class-I & JMFC, रायगढ़
2.	बैकुण्ठपुर	कोरिया	श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, II Civil Judge Class-I & JMFC, बैकुण्ठपुर
3.	धमतरी	धमतरी	कु. वंदना वर्मा, Civil Judge Class-I & JMFC, कुरूद
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, II Civil Judge Class-I & JMFC, जांजगीर
5.	गरियाबंद	गरियाबंद	श्री गीतेश कुमार कौशिक, Civil Judge Class-I & JMFC, देवभोग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 8-1/2017/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3656 को दिनांक 24-06-2017 से 23-10-2017 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी., सीपत, बिलासपुर के बॉयलर क्रमांक सी.जी./270 को दिनांक 23-07-2017 से 31-08-2017 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर अथवा बायलर कंपोनेट में होने वाली किसी भी दुर्घटना की सूचना बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल निरीक्षक वाष्पयंत्र/मुख्यनिरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर, पाइप लाइन तथा बायलर कंपोनेट में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385 क की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्रमांक/एफ 01-09/2016/10 (भावसे).—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाये कॉलम नं. 04 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	प्रस्तावित नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एस.एस. डी. बड़गैया (भावसे 1997)	उप वन संरक्षक (संरक्षण), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर.	वनमण्डलाधिकारी मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली
2.	श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी (भावसे 1999 बैच)	वनमण्डलाधिकारी मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली.	उप वन संरक्षक (संरक्षण), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर.
3.	श्री एम. गोविन्द राव (भावसे 1999)	वनमण्डलाधिकारी गरियाबंद, वनमण्डल, गरियाबंद.	वनमण्डलाधिकारी बालोद वनमण्डल, बालोद
4.	श्री अनिल सोनी (भावसे 2001)	वनमण्डलाधिकारी सह निदेशक, जंगल सफारी, नया रायपुर.	वन संरक्षक, कार्य आयोजना वृत्त कांकेर

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय (भावसे 2002)	वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) एवं जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर.	प्रभारी, वनमण्डलाधिकारी गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद.
6.	मोहम्मद शाहिद (भावसे 2002)	वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर.	वनमण्डलाधिकारी राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव.
7.	श्री एस.एस.कंवर (भावसे 2003)	वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़.	मण्डल प्रबंधक, कवर्धा परियोजना मण्डल (प्रतिनियुक्ति पर छ.ग. राज्य वन विकास निगम).
8.	श्री बी.पी. सिंह (भावसे 2003)	वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर.	वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर.
9.	श्री सुरेश प्रसाद पैकरा (भावसे 2003)	वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर.	संचालक, वन विद्यालय, जगदलपुर
10.	मो. नावेद शुजाउद्दीन (भावसे 2004)	वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर.	वन संरक्षक सह उप वन संरक्षक, वन प्रबंध सूचना प्रणाली वनमण्डल, रायपुर.
11.	श्री अनुराग श्रीवास्तव (भावसे 2004)	वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रारोड.	वनमण्डलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल, कोण्डागांव.
12.	श्री राजेश कुमार चंदेले (भावसे 2004)	वन संरक्षक सह उप वन संरक्षक वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल, रायपुर.	वनमण्डलाधिकारी धमतरी वनमण्डल, धमतरी
13.	श्री फुलजोंस टोप्पो (भावसे 2005)	संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर.	मण्डल प्रबंधक, अंतागढ़ परियोजना मण्डल (प्रतिनियुक्ति पर छ.ग. राज्य वन विकास निगम).
14.	श्री एस. वेंकटाचलम (भावसे 2005)	प्रबंधक (प्रशा.) छ.ग. वन विकास निगम रायपुर (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए)	वनमण्डलाधिकारी कोरबा वनमण्डल, कोरबा
15.	श्री विवेक आचार्य (भावसे 2006)	वनमण्डलाधिकारी धमतरी वनमण्डल, धमतरी.	वनमण्डलाधिकारी सह निदेशक, जंगल सफारी, नया रायपुर.
16.	श्री माथेश्वरन व्ही. (भावसे 2006)	उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी.	वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रारोड
17.	श्री अरूण प्रसाद पी. (भावसे 2006)	वनमण्डलाधिकारी राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव.	कार्यालय प्राधन मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर में मुख्यालय संलग्न.
18.	श्री मनोज कुमार पाण्डेय (भावसे 2007)	वनमण्डलाधिकारी जशपुर, वनमण्डल, जशपुर.	उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी.
19.	श्री रमेश चन्द्र दुग्गा (भावसे 2007)	वनमण्डलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव, वनमण्डल, कोण्डागांव.	उप महाप्रबंधक, लघु वनोपज संघ मुख्यालय, रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर).

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	श्री विवेकानन्द झा (भावसे 2009)	वनमण्डलाधिकारी कोरबा वनमण्डल, कोरबा.	वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर.
21.	सुश्री स्टायलो मण्डावी (भावसे 2011)	वनमण्डलाधिकारी बालोद वनमण्डल, बालोद.	वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर.
22.	श्री गुरूनाथन एन. (भावसे 2012)	वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर.	वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग
23.	श्रीमती प्रियंका पाण्डेय (भावसे 2012)	वनमण्डलाधिकरी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग	वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर.
24.	श्री प्रणय मिश्रा (भावसे 2013)	प्रशिक्षु अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी दक्षिण कोरबा, वनमण्डल कोरबा.	वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़.
25.	श्री धम्मशील गणवीर (भावसे 2013)	प्रशिक्षु अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी नगरी, वनमण्डल धमतरी.	वनमण्डलाधिकारी केशकाल वनमण्डल, केशकाल.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक-एफ-3-77/2016/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता हैं :—

क्र.	थाना/तह./जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है	प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-जीआरपी चरोदा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग.	थाना-पुरानी भिलाई, तहसील-पाटन जिला-दुर्ग.	जोन-1 चरोदा	02
			भिलाई-3 का रेल्वे कालोनी.	02

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस.एस.डी. बड़गैया (भा.व.से. 1997) उप वन संरक्षक (संरक्षण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली के पद पर पदस्थ किया गया है. श्री बड़गैया की उक्त पदस्थापना आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें यथावत् उप वन संरक्षक (संरक्षण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

2. श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी (भा.व.से. 1999) वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा उप वन संरक्षक (संरक्षण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है. श्री तिवारी की उक्त पदस्थापना आदेश को संशोधित करते हुए उन्हें उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर, के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

3. श्री अनिल सोनी (भा.व.से. 2001) वनमण्डलाधिकारी सह निदेशक, जंगल सफारी, नया रायपुर को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा वन संरक्षक, कार्य आयोजना, वृत्त कांकेर के पद पर पदस्थ किया गया है. श्री सोनी की उक्त पदस्थापना आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें यथावत् वनमण्डलाधिकारी सह निदेशक, जंगल सफारी, नया रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

4. श्री नावेद शुजाउद्दीन (भा.व.से. 2004) वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा वन संरक्षक सह उप वन संरक्षक, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, वनमण्डल रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है. श्री शुजाउद्दीन की उक्त पदस्थापना आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग., रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

5. श्री राजेश कुमार चंदेले (भा.व.से. 2004) वन संरक्षक सह उप वन संरक्षक, वन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली, वनमण्डल रायपुर को विभागीय आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी के पद पर पदस्थ किया गया है. श्री चंदेले की उक्त पदस्थापना आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें यथावत् वन संरक्षक सह उप वन संरक्षक, वन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली, वनमण्डल रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

6. श्री विवेक आचार्य (भा.व.से. 2006) वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा वनमण्डलाधिकारी सह निदेशक, जंगल सफारी, नया रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया था, श्री आचार्य को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11-07-2017 द्वारा संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर नियुक्त किये जाने का फलस्वरूप उनकी पदस्थापना संबंधी आदेश दिनांक 07-07-2017 को निरस्त किया जाता है.

7. श्री पंकज राजपूत (भा.व.से. 2014) प्रशिक्षु उप वनमण्डलाधिकारी, चौकी, वनमण्डल राजनांदगांव को वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

8. श्री कृष्ण जाधव (भा.व.से. 2014) प्रशिक्षु उप वनमण्डलाधिकारी, पूर्व कोण्डागांव, वनमण्डल कोण्डागांव को वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2017

क्रमांक 732/एफ 8-158/35/गौसेआ-सेटअप/2017.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग हेतु निम्नानुसार कुल 04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :—

स. क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पदसंख्या (4)
1.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	15600-39100+5400	01
2.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	5200-20200+2400	01
3.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200+2800	01
4.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200+1900	01
		योग	**04**

2. उक्त पदों पर व्यय मांगसंख्या-14 मुख्यशीर्ष-2403-पशुपालन (आयोजना) 0101-राज्य आयोजना सामान्य (5535) छत्तीसगढ़ गौसेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान #14-सहायक अनुदान, 001-स्थापना अनुदान के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. उक्त पदों पर पदस्थापना की प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें पूर्ववत् यथावत् रहेगी.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2016-35-00435 दिनांक 29-5-2017 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/एफ 3109/2017/7-3.—Certified that we have in the afternoon of this day respectively made over and received charge of the office of Secretary, Government of Chhattisgarh, General Administration Department in pursuance of G.A.D. order No. E-1-1-2017/1/2 dated11-07-2017 and that the officer receiving charge traveled during joining time on 12-07-2017 (mention dates).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2016-17.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सिथरा	0.193 हेक्ट.	लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17 जुलाई 2017 को समय 2.00 बजे से 4.00 बजे तक स्थान ग्राम पंचायत भवन सिथरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग में पुलिया निर्माण कराया जावेगा.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	2,69,458.00 रुपये
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सामान्य के आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	मूल्य लगभग 50,000.00 रुपये.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटावें	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2016-17.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	धरमजयगढ़	खड़गांव	0.338 हेक्ट.	लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17 जुलाई 2017 को समय दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक स्थान ग्राम पंचायत भवन खड़गांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग में पुलिया निर्माण कराया जावेगा.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	3 पेड़ एवं 1 नलकूप
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	6,41,305-00 रुपये.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सामान्य के आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	मूल्य लगभग 50,000.00 रुपये.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटावें	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक क/वाचक-1/2017/1250.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	नवापारा	1.719	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-07-2017 को शाम 4.00 बजे से 6.00 बजे स्थान नगर ग्राम पंचायत कार्यालय, घरघोड़ा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	1,00,00,000-00 (नवापारा मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000.00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटांक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथी/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक क/वाचक-1/2017/1250.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	झरियापाली	2.098	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-07-2017 को शाम 4.00 बजे से 6.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन झरियापाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	54
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	1,00,00,000-00 (झरियापाली मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000.00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटांक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक क/वाचक-1/2017/1250.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	जरेकेला	1.050	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-07-2017 को शाम 4.00 बजे से 6.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन जरेकेला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	50,00,000-00 (जरेकेला मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000.00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटांक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथी/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक क/वाचक-1/2017/1250.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	घरघोड़ा	1.426	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-07-2017 को शाम 4.00 बजे से 6.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन घरघोड़ा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	30 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	70,00,000-00 (घरघोड़ा मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000.00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटांक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथी/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक क/वाचक-1/2017/1250.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	देवगढ़	2.158	लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-07-2017 को शाम 4.00 बजे से 6.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन देवगढ़ पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सड़क निर्माण कराया जावेगा
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	51
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	50,00,000-00 (घरघोड़ा मार्ग निर्माण)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000.00 रुपये)
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटांक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथी/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्रमांक प्रकरण क्रमांक 4 अ/1209/82 वर्ष 2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	झांकी	555/1	0.20	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अभनपुर.	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन निर्माण.
			556/2	0.46		
			556/1	0.45		
			565	0.52		
			566	0.11		
			567	0.29		
			568/2	0.01		
			568/1	0.29		
			569/2	0.11		
		योग	**09**	**2.44**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्रमांक/10842/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-पिहरीद, प.ह.नं. 13
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	538/34	0.105
योग		0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेराडी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्रमांक/10845/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिहरीद, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1523/3	0.052
योग		0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भूतहा सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्रमांक/10847/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भरोडा, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	591/2	0.089
योग		0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राबेली माईनर नं. 02 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/2803.—कार्यालयीन आदेश क्र. बी-8/32 (2)/भा.अधि./2016-17/6732-6733, रायपुर दिनांक 25-01-2017 द्वारा श्री सूरज कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केशकाल को कृषि उपज मंडी समिति केशकाल, जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर खाद्य अधिकारी जिला-कोण्डागांव का ज्ञापन क्र. 483/स्था./खाद्य/2017 कोण्डागांव दिनांक 01-07-2017 द्वारा श्री टेंकचन्द अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग केशकाल को कृषि उपज मंडी समिति केशकाल जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सूरज कुमार साहू अनुविभागीय अधिकारी (रा.), केशकाल का जिला कोण्डागांव में पदस्थापना हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री टेंकचन्द अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग केशकाल को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति केशकाल जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय प्राधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 अगस्त 2017

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 1651/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/966-67 दिनांक 09 जून 2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09 जून, 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फलियामुड़ा/30	190/19	0.26
			194/1	0.13
			192/2 ख, 193/2 ख	0.39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			190/24	0.66
			190/14	0.24
			195/3	0.19
			190/12	0.33
		कुल	**7**	**2.20**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 अगस्त 2017

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 1653/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/965 दिनांक 09 जून 2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09 जून, 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोसमंदा/30	75/12 क	0.43
			101/1 न	0.12
			75/12 ख	0.22
			101/16 क	0.35
			75/11 क	0.38
			75/20	0.46
			75/9	0.14
			101/15 क	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			101/24 क	Nil
			67	0.13
			75/7 क	0.15
			101/21 क	0.33
			101/19 क	0.45
			75/16	0.62
			66	0.10
			75/6	0.26
			122/6	0.23
			75/11	0.02
			75/13	0.04
			69/2	Nil
		कुल	**20**	**4.51**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 अगस्त 2017

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 1659/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/967-68 दिनांक 09 जून 2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09 जून, 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल/30	518/2	0.28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			832/4, 596/6	0.12
			529/2	0.15
			596/6, 832/3	0.15
			829/5	0.05
		कुल	**5**	**0.75**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 अगस्त 2017

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 1661/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/966 दिनांक 09 जून 2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09 जून, 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहापाली/30	450/1	0.40
			260/2 ङ	0.17
		कुल	**2**	**0.57**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 अगस्त 2017

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 1663/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/964 दिनांक 09 जून 2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09 जून, 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह/37	158/8	0.40
			629	0.45
			685/6 क, 685/6 ख, 685/6 ग	0.60
			816/3	0.45
			637/3	0.24
			838/1	0.24
		कुल	**6**	**2.38**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 अगस्त 2017

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 1665/भू.पा.ला./2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/963-64 दिनांक 09 जून 2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09 जून, 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चंद्रपुर/38	31/1	0.05
		कुल	**1**	**0.05**

रीता यादव,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2017

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक/136 बी 121/2016-17.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम providing साराडीह, प.ह.नं........ तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-बुनगा, प.ह.नं. 25, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	बुनगा/25	384/8	0.067
			योग-कुल ख. नं. 1	**कुल रकबा 0.067 हे.**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2017

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक/137 बी 121/2015-16.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं......... तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-कोतासूर्रा, प.ह.नं. 37, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम

प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	कोतासूर्रा/37	963/7	0.220
			योग-कुल ख. नं. 1	**कुल रकबा 0.220 हे.**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

पी. के. सर्वे,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).